an>

Title: Need to give compensation to the farmers whose crops have been damaged due to stray animals.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में विशेÂ◌ाकर झारखंड में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को नÂट करने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुछ किसान आवारा पशुओं के भय से खेती नहीं कर रहे हैं। पहले राज्य में आवारा पशुओं के लिए कारागार के समान व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत फसल नÂट होने की स्थिति में किसान आवारा पशुओं को कारागार में भेज देते थे। परंतु आज वन कानून पशुओं के पक्ष में होने के कारण कारागार की व्यवस्था समाप्त हो गई है। इससे किसानों की फसल नÂट होने की स्थिति में उन्हें कोई मुआवजा देने का प्रावधान भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को दोहरा नुकसान होता है। एक ओर उनकी फसल नÂट होती है तो दूसरी ओर पशुओं के भय से वे फसल नहीं लगा रहे हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि आवारा पशुओं द्वारा जिन किसानों की फसल नÂट हो जाती है, उन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ-साथ कारागार की व्यवस्था भी पुनः की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Nishikant Dubey is permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.